न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/39 **दायरा दिनांक : 29.03.2022**

उनवान

1. बजरंगलाल पुत्र मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी आंकेडी
2. महावीर पुत्र गौरू नाथ, जाति नाथ मृतक
   2/1. प्रकाशीबाई पत्नी महावीर, जाति नाथ
   2/2. यथवन्त पुत्र महावीर, जाति नाथ
   2/3. अमित पुत्र महावीर, जाति नाथ नाबालिग
   जर्ये वली माता प्रकाशीबाई पत्नी महावीर, जाति नाथ, निवासी आंकेडी, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

रघुनाथ पुत्र कालूलाल, जाति मीणा, निवासी आंकेडी, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.01.2025**

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. एवं धारा 151 सी. पी. सी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या –147/21 आदेश दिनांक 26.10.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट रघुनाथ ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिसकी अपील संख्या 166/2009 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2020 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते मनसुख किये जाने एक तरफा कार्यवाही दिनांक 01.08.2019 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. प्रमाणित दस्तावेज के अभाव में एवं एक तरफा कार्यवाही व प्रोपर तामील नहीं होना साबित नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2021 को खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद क्रमांक 166/2009 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विधि विरूद्ध तरीके से एक तरफा निर्णय वादी के पक्ष में पारित करते हुए दिनांक 13.03.2020 को डिक्री फरमा दिया है जिसकी वादी अनुपालना कराने पर उद्धत है यदि उक्त एक तरफा निर्णय/डिक्री दिनांक 13.03.2020 की वादी पालना कराने में सफल हो गया तो अपीलांट्स

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का अपील करना व्यर्थ हो जावेगा तथा न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेगे। ऐसी स्थिति में ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2020 की पालना को स्थगित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के वाद कमांक 166/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2020 की पालना स्थगित रखे जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 पर हमें सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया, तलबी भी नहीं हुई है अर्थात् प्रोपर नाम से हमारी तामील नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा मृतक महावीर के वारिसान के नाम गलत अंकित कर दावा पेश किया है जिसमें महावीर के वारिसान की कोई तामील नहीं हुई और एकतरफा निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है परन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि प्रतिवादी नं. 2 महावीर के वारिसान का सही नाम क्या है और ना ही वारिसान के नाम की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रतिवादी नं. 2 महावीर के वारिसान का सही नाम क्या है। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि महावीर के पुत्रों का नाम यशवंत और अमित है परन्तु दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल दौराने बहस किये गये कथन के आधार पर प्रतिवादी महावीर के पुत्रों का नाम यशवंत और अमित होना स्वीकार करना विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा